

वर्धन में धन वधियक के उपयोग की जाँच सर्वोच्च न्यायालय करेगा

प्रलमिस के लयि:

[भारत के मुख्य न्यायाधीश](#), [धन वधियक](#), [संसद](#), [राज्यसभा](#), [अनुच्छेद 110](#), [न्यायकि समीक्षा](#), [सर्वोच्च न्यायालय](#), [समेकति नधि](#)

मेन्स के लयि:

भारतीय संवधान, वशिषताएँ, संशोधन, महत्त्वपूर्ण प्रावधान, न्यायकि समीक्षा

[स्रोत: द हट्रि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारत के मुख्य न्यायाधीश](#) (Chief Justice of India- CJI) ने [संसद](#) में वविदासपद संशोधनों को पारति करने के लयि सरकार द्वारा [धन वधियक](#) मार्ग के उपयोग को चुनौती देने वाली याचकिओं को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की है ।

- यह मुद्दा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह [राज्यसभा](#) की अवहेलना तथा [संवधान के अनुच्छेद 110](#) के संभावति उल्लंघन से संबंधति है ।

धन वधियक के संबंध में चतिाँ क्या हैं?

- राज्यसभा को दरकनार करना:** प्राथमकि चतिाओं में से एक यह है कविवादासपद संशोधनों को धन वधियक के रूप में पारति करने से सरकार को **राज्यसभा को दरकनार करने का मौका मलि जाता है, जसिसे संसद की दवसिदनीय प्रकृति कमजोर** होती है ।
 - कसिी वधियक को धन वधियक के रूप में वर्गीकृत करने से राज्यसभा को केवल उसमें परविरतन की सफिरशि करने की शक्ति प्रापत हो जाती है तथा उसे **वधियक को संशोधति करने या अस्वीकार करने का अधिकार नहीं** होता ।
 - उच्च सदन के रूप में राज्यसभा कानून पर अतरिकित जाँच करती है । इसे दरकनार करने से व्यापक बहस और नरीक्षण का अवसर कम हो जाता है ।
- अनुच्छेद 110 का उल्लंघन:** यह नरिदषिट करता है कधिन वधियक क्या होता है । ऐसी चतिाएँ हैं कधिन **वधियक के रूप में चहिनति कयि गए कुछ संशोधन इन प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं करते हैं** ।
- अध्यक्ष का प्रमाणन:** [संवधान के अनुच्छेद 110 के अंतरगत लोकसभा के अध्यक्ष](#) को कसिी वधियक को धन वधियक के रूप में प्रमाणति करने का अधिकार है, यह नरिणय [न्यायकि समीक्षा](#) के अधीन नहीं है ।
 - इससे इस शक्ति के संभावति दुरुपयोग के बारे में चतिा उत्पन्न होती है, जसिसे वधियाी प्रक्रयाओं को दरकनार करने का अवसर मलि जाता है ।
- चतिा को उजागर करने वाले वशिषिट मामले:**
 - आधार अधनियम:** [आधार \(वतितीय और अन्य सबसडि, लाभ तथा सेवाओं का लक्षति वतिरण\) अधनियम, 2016](#) को अनुच्छेद 110(1) के तहत धन वधियक के रूप में वर्गीकृत कयि गया था, जसिके कारण व्यापक वविद हुआ ।
 - वर्ष 2018 में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने आधार कानून की संवैधानकिता को बरकरार रखा, जसिमें बहुमत से फैसला दयिा गया कवि अधनियम का मुख्य उद्देश्य सबसडि और लाभ प्रदान करना था, जसिमें समेकति नधिसे व्यय शामिल है तथा इसलयि इसे धन वधियक के रूप में पारति करने के योग्य माना गया ।
 - हालाँकि न्यायमूर्ति डी.वाई. चंदरचूड (जो उस समय मुख्य न्यायाधीश नहीं थे) ने असहमति जताते हुए कहा कडिस मामले में धन वधियक की राह अपनाना **"संवैधानकि प्रक्रया का दुरुपयोग"** है ।
 - वतित अधनियम, 2017:** [वतित अधनियम, 2017](#) में कई अधनियमों में संशोधन शामिल थे, जनिमें सरकार को न्यायाधकिरणों के सदस्यों की सेवा शर्तों के संबंध में नयिमों को अधसूचति करने का अधिकार देना शामिल था ।
 - कई याचकिाकर्त्ताओं ने तर्क दयिा कवितति अधनियम, 2017 को पूरी तरह से रद्द कर दयिा जाना चाहयि, **क्योंकि इसमें ऐसे प्रावधान शामिल थे जनिका अनुच्छेद 110 में सूचीबद्ध वशिषों से कोई संबंध नहीं था** ।
 - वर्ष 2019 में **रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडयिन बैंक लमिटिड** मामले में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने धन वधियक पहलू कोसात न्यायाधीशों की बड़ी पीठ को भेज दयिा था ।

- धन शोधन नविवरण अधिनियम (PMLA) संशोधन: वर्ष 2015 से धन वधियक के रूप में पारति PMLA में संशोधनों ने प्रवर्तन नदिशालय को गरिफ्तारी और छापेमारी सहति व्यापक शक्तियाँ प्रदान कीं।
 - हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने इन संशोधनों की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन यह सवाल किया उन्हें धन वधियक के रूप में पारति किया जाना चाहिये था, सात न्यायाधीशों की पीठ पर छोड़ दिया।
 - इन संशोधनों के माध्यम से दी गई व्यापक शक्तियों ने संभावति दुरुपयोग और वधियायी जाँच को दरकिनार करने के बारे में चिंताएँ उत्पन्न कीं।

वर्ष 2019 के फैसले के बाद के घटनाक्रम

- सात न्यायाधीशों वाली पीठ (जसिका उल्लेख पहले किया गया है) ने अभी तक वैध धन वधियक की अवधारणा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार नहीं किया है, जसिका प्रभाव आगामी वधियों पर पड़ेगा।
- न्यायालय ने प्रवर्तन नदिशालय की शक्तियाँ और चुनावी कानूनों से संबंधति मामलों में धन वधियक के प्रश्न को हल करने से परहेज़ किया है तथा बड़ी पीठ के नरिणय की प्रतीक्षा कर रहा है।

धन वधियकों के गलत वर्गीकरण के संभावति परिणाम क्या हैं?

- कानूनी चुनौतियाँ: वधियकों को धन वधियक के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत करने से लंबी कानूनी लड़ाई हो सकती है, जससे वधियायी प्रक्रिया में अनश्चितता बढ़ सकती है।
- वधियायी उदाहरण: यदि न्यायपालिका इसे बरकरार रखती है, तो धन वधियक का अनुचित उपयोग भविष्य की सरकारों के लिये राज्यसभा को दरकिनार करने का एक उदाहरण स्थापति कर सकता है।
- लोगों का विश्वास: धन वधियकों से संबंधति विवाद वधियायी प्रक्रिया और संसदीय प्रक्रियाओं की अखंडता में जनता के विश्वास को खतम कर सकते हैं।
- भारतीय लोकतंत्र पर व्यापक प्रभाव:
 - धन वधियकों के इर्द-गिर्द चल रही बहस और न्यायिक समीक्षा लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करती है।
 - यह सुनिश्चित करना कि महत्वपूर्ण कानून के पारति होने में पर्याप्त जाँच और बहस शामिल हो, वधियायी पारदर्शिता तथा जवाबदेही के लिये महत्वपूर्ण है।
 - संवैधानिक प्राधानों को बनाए रखना और उनका दुरुपयोग रोकना भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अखंडता के लिये आवश्यक है।

धन वधियक क्या है?

- परिचय: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन वधियक की परिभाषा दी गई है, जसमें कहा गया है कि यदि किसी वधियक में केवल वशिष्ट वतितीय मामलों से संबंधति प्रावधान हों तो उसे धन वधियक माना जाता है। इनमें शामिल हैं:
 - कराधान संबंधी मामले: किसी भी कर का अधिपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या वनियमन।
 - उधार वनियमन: केंद्र सरकार द्वारा धन उधार लेने का वनियमन।
 - नधियों की अभिरक्षा: भारत की समेकति नधि (करों और उधार तथा ऋण के रूप में किये गए व्ययों के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व) या आकस्मिकता नधि (अप्रत्याशति व्यय को पूरा करने के लिये धन) का प्रबंधन।
 - नधियों का वनियोजन: समेकति नधि से धन का वनियोजन।
 - व्यय घोषणा: समेकति नधि पर लगाए गए किसी भी व्यय की घोषणा।
 - धन प्राप्ति: समेकति नधि या सार्वजनिक खातों से संबंधति धन की प्राप्ति।
 - अन्य मामले: उपरोक्त प्राधानों से संबंधति कोई भी मामले।
- लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाणन: किसी वधियक को धन वधियक मानने का नरिणय लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। यह नरिणय अंतिम होता है और इस पर किसी भी न्यायालय या संसद के किसी भी सदन द्वारा सवाल नहीं उठाया जा सकता है तथा न ही राष्ट्रपति द्वारा इसे चुनौती दी जा सकती है।
 - प्रमाणन के बाद अध्यक्ष वधियक को धन वधियक के रूप में अनुमोदति करते हैं, जब इसे सफिराशों के लिये राज्यसभा को भेजा जाता है।
- वधियायी प्रक्रिया: धन वधियक केवल लोकसभा में ही पेश किये जा सकते हैं और राष्ट्रपति द्वारा अनुशंसति किये जाने होते हैं। उन्हें सरकारी वधियक माना जाता है और उन्हें केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
 - लोकसभा में पारति होने के पश्चात् वधियक को राज्यसभा में भेजा जाता है, जसके पास सीमति शक्तियाँ होती हैं, जैसे यह धन वधियक को अस्वीकार या संशोधति नहीं कर सकता है अपति केवल अनुशंसाएँ कर सकता है और चाहे वह अनुशंसाएँ करे या नहीं 14 दिनों के भीतर वधियक को वापस भेजा जाना होता है।
 - लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यदि लोकसभा किसी अनुशंसा को स्वीकार करती है तो वधियक को संशोधति रूप में पारति माना जाता है; यदि वह उन्हें अस्वीकार करती है, तो यह अपने मूल रूप में पारति होता है।
- राष्ट्रपति की स्वीकृति: जब धन वधियक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वह या तो स्वीकृति दे सकता है या उसे वधिरति (रोकना) रख सकता है कति पुनर्विचार के लिये वापस नहीं कर सकता।

◦ प्रायः राष्ट्रपति धन वधियकों को स्वीकृति दे देता है क्योंकि वे उसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किये जाते हैं ।

नोट: किसी वधियक को केवल इस आधार पर धन वधियक नहीं घोषित किया जा सकता क्योंकि इसमें जुर्माना या आर्थिक दंड अधिरोपित करना, लाइसेंस या सेवाओं के लिये शुल्क की मांग या भुगतान तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा स्थानीय परियोजनाओं के लिये कराधान शामिल है ।



विधेयकों के प्रकार (TYPES OF BILLS)

साधारण विधेयक

- वित्तीय मामलों के अलावा अन्य मामलों से संबंधित

धन विधेयक

- वित्तीय मामलों से संबंधित जैसे:
 - करारोपण
 - सरकारी व्यय
 - संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने संबंधी विनियमन
 - भारत की समेकित और आकस्मिक निधि

वित्त विधेयक

- वित्तीय मामलों से संबंधित लेकिन धन विधेयक से अलग:
 - वित्त विधेयक (I) - उदाहरण. - एक ऐसा बिल जिसमें उधार लेने संबंधी खंड होता है लेकिन यह विशेष रूप से उधार लेने से संबंधित नहीं होता है।
 - वित्त विधेयक (II) - भारत की संचित निधि से व्यय से संबंधित प्रावधान (धन विधेयक में वर्णित मामलों को छोड़कर)

संविधान संशोधन विधेयक

- संविधान के प्रावधानों में संशोधन से संबंधित

विधेयकों के प्रकार

विशेषताएँ	साधारण विधेयक	धन विधेयक	वित्त विधेयक (I)	वित्त विधेयक (II)	संविधान संशोधन विधेयक
अनुच्छेद	107, 108	110	117 (1)	117 (3)	368
जिन सदनों में पेश किया जा सकता है	लोकसभा और राज्यसभा दोनों	केवल लोकसभा	केवल लोकसभा	लोकसभा और राज्यसभा दोनों	लोकसभा और राज्यसभा दोनों (लेकिन राज्य विधानमंडल नहीं)
जिन सदस्यों द्वारा पेश किया जा सकता है	मंत्री या निजी सदस्य	केवल मंत्री	मंत्री या निजी सदस्य	मंत्री या निजी सदस्य	मंत्री या निजी सदस्य
राष्ट्रपति की सिफारिश (सदन में विधेयक पेश करने के संदर्भ में)	आवश्यक नहीं	आवश्यक है	आवश्यक है	केवल विचार के लिये सिफारिश	आवश्यक नहीं
राज्यसभा द्वारा संशोधन/ अस्वीकृति	किया जा सकता है	सिफारिश ही की जा सकती है (बाध्यकारी नहीं)	किया जा सकता है	किया जा सकता है	किया जा सकता है
गतिरोध के लिये संयुक्त बैठक	राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है	कोई प्रावधान नहीं	राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है	राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है	कोई प्रावधान नहीं
राष्ट्रपति की भूमिका	अस्वीकार करना/ स्वीकृति देना/ पुनर्विचार के लिये वापस भेजना	अस्वीकार या स्वीकार कर सकता है लेकिन पुनर्विचार के लिये वापस नहीं भेज सकता	अस्वीकार करना/ स्वीकृति देना/ पुनर्विचार के लिये वापस भेजना	स्वीकृति देना/ पुनर्विचार के लिये वापस भेजना	स्वीकृति देना आवश्यक (अस्वीकार नहीं कर सकता / वापस नहीं भेज सकता)

दृष्टि मैनस प्रश्न:

प्रश्न. प्रतविशिधातमक संशोधनों को पारति करने हेतु सरकार द्वारा उन्हें धन वधियक के रूप में घोषति करने से जुड़ी चतिओं का मूल्यांकन कीजयि। ये प्रावधान कसि प्रकार वधायी जवाबदेहति को सुनशिचति या कमज़ोर करते हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. धन वधियक के संबंध में नमिनलखिति में से कौन-सा कथन सही नहीं है? (2018)

- (a) कसिी बलि (वधियक) को धन वधियक तब माना जाएगा जब इसमें केवल कसिी कर के अधशिपण, उन्मूलन, माफी, परविरतन या वनियिमन से संबंधति प्रावधान हों।
- (b) धन वधियक में भारत की संचति नधि एवं भारत की आकस्मकिता नधि की अभरिक्षा से संबंधति उपबंध होते हैं।
- (c) धन वधियक भारत की आकस्मकिता नधि से धन के वनियोजन से संबंधति होता है।
- (d) धन वधियक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या कोई प्रत्याभूतदिने के वनियिमन से संबंधति होता है।

उत्तर: (c)

प्रश्न. यदकिसी धन वधियक में राज्य सभा द्वारा पर्याप्त संशोधन कयि जाए तो क्या होगा? (2013)

- (a) लोकसभा अभी भी राज्यसभा की सफिरशिों को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए वधियक पर आगे बढ़ सकती है।
- (b) लोकसभा इस वधियक पर आगे वचिर नहीं कर सकती।
- (c) लोकसभा इस वधियक को पुनर्वचिर के लयि राज्यसभा में भेज सकती है।
- (d) राष्ट्रपति वधियक पारति करने के लयि संयुक्त बैठक बुला सकते हैं।

उत्तर: (a)